(1) दैनिक मजदूरों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से काम पर लगाया जाना चाहिए । यह शर्त उन दैनिक मजदूरों के लिए लागू नहीं होती जो 20 मार्च 1979 तक कार्य पर लगाये गये थे और अन्यथा सभी प्रकार से योग्य थे ।

(2) जिन्होंने दैनिक मजदूर के रूप में लगातार दो वर्षों तक सेवा की हो और दैनिक मजदूर के रूप में दो वर्षों की सेवा के दौरान कम से कम 240 दिनों तक (इसमें सेवा भंग की अवधि भी शामिल है) जिन्हें काम पर लगाया गया हो, वे भी नियमित किए जाने योग्य है ।

(3) दैनिक मजदूर के रूप में सेवा भंग की अवधियों पर भी विचार किया जाता है, बशर्ते कि ऐसी सेवा अवधि लगातार छः महीने से अधिक की हो ।

(4) दैनिक मजदूरों को नियमित किए जाने की तारीख की अधिकतम आयु-सीमा में होना चाहिए । एतदर्थ आयु-सीमा पर निर्णय लेने के लिए दैनिक मजदूर के रूप में उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि को घटा दिया जाता है ।

(5) दैनिक मजदूरों के पास इस पर के लिए शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

(ग) 340 दैनिक मजदूरों की सेवाएं निर्धारित कर दी गई है ।

Indo-U.K. talks on international situation

*456. SHRI H. N. NANJE GOWDA:
SHRI P. M. SAYEED:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether talks to review the international situation were held recently between India and the United Kingdom;

(b) if so, the outcome thereof; and

(c) reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Yes Sir.

Annual Indo-British official talks at the level of Foreign Secretaries were held on February 3, 1983 at New Delhi.

(b) and (c). The two sides reviewed the international political and economic situation and Indo-British bilateral relations.

भारत-पाकिस्तान सीमा पर खोखरापार मार्ग का खोला जाना

*457 **श्री जयपाल कश्यप:**
श्री मंगल राम प्रेमी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पाकिस्तान प्राधिकारियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच खोखरापार का रास्ता खोलने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि कुछ लोगों ने उक्त रास्ते को खोलने के लिए सरकार से लिखित रूप में आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव): (क) और (ख) जी, हां । है है

(ग) 14 सितम्बर, 1974 के भारत-पाक वीसा करार में यह व्यवस्था है कि एक देश से दूसरे देश को जाने/आने वाले जाने/आने वाले राष्ट्रिकों के प्रवेश/निकास के लिए सीमा पर दो पड़ताल चौकियां--वाघा/अट्टारी और खोखरापार-मुनाबाओ--खोली जाएं । लेकिन अब तक अकेली वाघा/अट्टारी पड़ताल-चौकी ही खुली रही है ।

सरकार ने विभिन्न अवसरों पर मौखिक रूप से और लिखित रूप में भी, खोखरापार-मुनाबाओ पड़ताल चोकी के लिए पाकिस्तान सरकार ने ऐसा करने से इन्कार किया है ।

Schemes to help Women through voluntary agencies

*458. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of SOCIAL WELFARE be pleased to lay a statement showing:

(a) whether Government have launched some welfare schemes under the Social